<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्या 64/2020 (उदयपुर डिक्री)</u>

श्रीमती गंगा बाई पत्नी भानू जी गुर्जर, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................. अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. श्रीमती ऊंकारी बाई बेवा नारायण जी गुर्जर, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती सुगना पत्नी गिरधारीलाल जी गुर्जर, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. नगर विकास प्रन्यास जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)
5. प्रेमसिंह पिता मोहनसिंह जी सिसोदिया, निवासी 15–बी, दीप ज्योति स्कूल के पास, हिरण मगरी, सेक्टर नंबर 14, उदयपुर (राज.)
6. नारायणलाल पिता श्री चिरंजीवी लाल सुवालका, निवासी गोवर्धन विलास, उदयपुर (राज.)
7. डॉ. एस.पी. धाकड़ पिता श्री बी.एल. धाकड़, निवासी 71, भूपालपुरा, उदयपुर हाल निवासी 11616, ओल्डी कन्वींटन वे, ग्लेन एलीन, वर्जीनिया, अमेरिका जरिये अधिकारी पत्रधारक श्रीमती मीना पण्ड्या पत्नी डॉ. त्रिलोक कुमार पण्ड्या, निवासी म्युनिसीपल कॉलोनी, ि ावाजी नगर, उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती भगवंती पत्नी हीरालाल जी सुथार, निवासी कडिया।
9. श्रीमती मधु गुप्ता पत्नी श्री सुभाश गुप्ता, निवासी रेती स्टैण्ड, उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती मीना पण्ड्या पत्नी डॉ. त्रिलोक कुमार पण्ड्या, निवासी म्युनिसीपल कॉलोनी, ि ावाजी नगर, उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती रेणु कण्डा पत्नी श्री प्रिंस कण्डा, निवासी म्युनिसीपल कॉलोनी, ि ावाजी नगर, उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:44:37 IST
Reason: SelfAttested

12. रामेश्वरलाल पिता श्री मोहनलाल खटीक, निवासी देलवाड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

13. श्रीमती सृश्टि मोगरा पत्नी दीपक मोगरा, निवासी मेहता जी की बाड़ी उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
दिनांक 03.04.2018, प्र.सं. 213/07

---/---

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री दुर्गासिंह भाक्तावत अभि. रे.सं. 1, 2
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक
4– श्री वी. के. चौहान अभिभाशक न. वि. प्र.
5– श्री विमल भटनागर अभि. रे.सं. 5 से 13

---/---

निर्णय दिनांक 28–09–2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा अन्य एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पति श्री नारायण जी गुर्जर के खाते एवं कब्जे की आराजी नंबर 992 रकबा 0.9200 हैक्टर भूमि मौजा बचीला में स्थित है, जिसमें नारायण जी का 1/2 हिस्सा है। इस प्रकार नारायज जी के 1/2 हिस्से में वादीया का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है। अर्थात कुलिया आराजियात में वादिया का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज हैं, परन्तु नारायण जी की मृत्यु पर उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम दर्ज हो, जबकि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 का नाम भी दर्ज होना चाहिए था। उक्त गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। अतः वादीया का वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:44:37 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादिया को 1/6 हिस्से का खातेदार का  तकार घोशित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनकर दिनांक 22–04–2009 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी। तत्प  चात् प्राप्त फर्द बंटवारे के आधार पर दिनांक 03–04–2018 को अंतिम डिक्री जारी की गयी, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19–10–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री दुर्गासिंह भाक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 से 13 की ओर से वकील श्री विमल भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 नगर विकास प्रन्यास की ओर से अधिवक्ता श्री वी. के. चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ मयाद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अंतिम डिक्री दिनांक 03–04–2018 की जानकारी उन्हें प्रथम बार दिनांक 09–10–2020 को अन्य सहखातेदार से हुई। जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई देरी नहीं की गयी है। अतः मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जावे। ताईद में भापथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। न्यायहित में मयाद कण्डाने की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौरान बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा कमि  नर तहसीलदार को नियुक्त किया गया था, किन्तु तहसीलदार मौके पर नहीं गये, बंटवारा रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गयी है तथा बंटवारे में नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। बंटवारा रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व पक्षकारों को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गयी है। अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पटवारी की इच्छा अनुसार बंटवारा गया है तथा [illegible] बंटवारे में अपीलान्ट को नहीं दी

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:44:37 IST
Reason: SelfAttested

गयी है, जबकि पटवारी ने कहा था कि जहां आप काबिज हैं वह भूमि आपके रखी जायेगी। पटवारी हल्का ने बंटवारा सहमति के आधार पर नहीं कर मनमकसूद तरीके से कर तहसीलदार को रिपोर्ट भेज दी, जिसे तहसीलदार से उपखण्ड अधिकारी को भेज दी, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी कर दी, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 03—04—2018 निरस्त की जावे तथा सभी सहखातेदारों को सूचना देकर बंटवारा नियम 18 से 21 के अनुसार स्वयं तहसीलदार मौके पर जाकर बंटवारा कराने जाने का आदे ा प्रदान किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस से सहमति व्यक्त की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि फर्द बंटवारा तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को बंटवारा कमि नर नियुक्त किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की गयी है, जो प्रथम दृश्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03—04—2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि तहसीलदार पक्षकारों से सूचित कर उनकी उपस्थित में स्वयं बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए फर्द बंटवारा तैयार करें तत्प चात् अधिनस्थ न्यायालय प्राप्त फर्द बंटवारे के आधार पर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15—11—2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 28—09—2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:44:37 IST
Reason: SelfAttested